भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(युवा कार्यक्रम विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3558
उत्तर देने की तारीख 10 अगस्त, 2026
19 श्रावण, 1948 (शक)

एससी/एसटी/ओबीसी के लिए डीओपीटी आरक्षण नियमों का कार्यान्वयन

3558. श्री मनोज कुमार:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के 21 नवंबर 2022 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 41034/4/2022-स्था. (आ. - I) में 45 दिन या उससे अधिक समय तक चलने वाले अस्थायी पदों के लिए एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण नियमों का अनुपालन करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये प्रावधान नेहरू युवा केंद्र संगठन के अंतर्गत एक से दो वर्ष की विस्तारित अवधि के लिए काम करने वाले राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों (एनवाईवी) के चयन के संबंध में लागू होते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार, जिलेवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन चयन चक्रों के दौरान एनवाईवी के रूप में चयनित एससी, एसटी और ओबीसी स्वयंसेवकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मेरा युवा भारत, पूर्व में नेहरू युवा केंद्र (एनवाईके) के अंतर्गत चलाए जा रहे इन कार्यक्रमों में किसी संसद सदस्य की कोई भूमिका है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ज़िला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली ज़िला चयन समितियों द्वारा आरक्षण से जुड़े इन विधिक निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कौन-सी प्रशासनिक व्यवस्था या निगरानी तंत्र विद्यमान हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) जी, हां महोदय। दिनांक 15.05.2018 और 21.11.2022 के कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से पुनः दोहराए गए डीओपीटी के दिनांक 24.09.1968 के अनुदेशों के अनुसार, केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के संबंध में, 45 दिन या उससे अधिक अवधि तक चलने वाली अस्थायी

नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान होगा।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित डीओपीटी के अनुदेशों के प्रावधान सरकार के अधीन अस्थायी पदों की नियुक्तियों पर लागू होते हैं। माय भारत स्वयंसेवकों की नियुक्ति सरकार में किसी पद पर नहीं की जाती है और इसलिए उन्हें कोई वेतन भी नहीं दिया जाता है। अतः राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) स्कीम के अंतर्गत माय भारत युवा स्वयंसेवकों पर आरक्षण नीति लागू नहीं होती है, क्योंकि एनवाईसी स्कीम में युवाओं की सहभागिता की एक वर्ष की अवधि के लिए (एक और वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकने वाली) स्वयंसेवी आधार पर परिकल्पना की गई है तथा उनकी स्वयंसेवी सेवाओं के लिए उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है। तथापि, समाज के सभी वर्गों के युवाओं को सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है।

(ग) विगत 3 वर्ष के दौरान माय भारत युवा स्वयंसेवकों के रूप में चयनित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वयंसेवकों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	माय भारत युवा स्वयंसेवकों की कुल संख्या	अजा	अजजा	अपिव	आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अजा, अजजा और अपिव से संबंधित स्वयंसेवकों का प्रतिशत (%)
2023-24	11557	1942	1490	3968	64.03
2024-25	2066	500	91	760	65.39
2025-26	3582	632	335	1196	60.39

(घ) माय भारत युवा स्वयंसेवकों के चयन और सहभागिता सहित राष्ट्रीय युवा कोर स्कीम के कार्यान्वयन का कार्य माय भारत और इसकी क्षेत्रीय स्तर की संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है। स्कीम के दिन-प्रतिदिन के कार्यान्वयन और प्रशासन में सांसदों की कोई भूमिका नहीं है। तथापि, सांसद माय भारत के अंतर्गत आयोजित युवा-संबंधी कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग ले सकते हैं तथा उनको सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

(ड.) उपरोक्त भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।
